

वदियालय शक्तिषा को गुणात्तुडक बनाना

करूतुडड डें करूडें?

केंदूरीड सरकर सरूवशक्तिषा अडडडडन (एसएसएस) तथल रलषूदूरीड डलधुडडडक शक्तिषल अडडडडन (आरएसएसएस) कल केंदूर दूवलर डूरलडुऑतल डुडुऑनलऑ के डलधुडड से कडू सुतरुं डूर अधुडलडकु के नडडडतल सेवलकललन डूरशक्तिषण, नए डूरूतल अधुडलडकु के लडुड डूरूवश डूरशक्तिषण, आईसीटी कुडुडुनूँड डूर डूरशक्तिषण, वसुतूत शक्तिषल, लूँगकल संवेदनशीलतल, तथल कशुडुरलवसुथल शक्तिषल सहतल गुणवतूतल सुधलर के लडुड रलऑुडुं तथल संघ शलसतल डूरदेशुं कल डडद करतूतल डै ।

सरूवशक्तिषल अडडडडन (एसएसएस)

- सरूवशक्तिषल अडडडडन (एसएसएस) के अंतूरगत रलऑुड सरकरलरुं और केंदूरशलसतल डूरशलसनुं कु शूकुषकल डलनकुं डें सुधलर कल कडू डहलुं के लडुड सडूरूथन दडुडल गडल डै ।
- इनडें नडडडतल इन-सरूवसल टीकरूस दूरनगल, नडू डूरूतल कडुड गए शक्तिषकुं के लडुड इंडकूशन दूरनगल, वुडलवसलडकल डुडुगुडतल डूरलडूत करनू के लडुड गूर-डूरशक्तिषतल शक्तिषकुं कु डूरशक्तिषण, ऑलतूर-शक्तिषक अनुडलत डें सुधलर के लडुड अतरलकूत शक्तिषक, डूलूंक और कूलसूटर रसुडुरस सेंटर के ऑरडुड शक्तिषकुं डेतु शूकुषकल सहलडतल, ऑलतूरुं कल कूषडतल कु डलडने डें शक्तिषकुं कु सकूषड बनलने के लडुड लगलतलर और वुडलडक डूलुडलंकन तथल आवशुडकतलनुसलर सुधलर करनल सलथ डल उऑतल शक्तिषण-संबंधु शलडगूरु वकलसतल करनू के लडुड शक्तिषक और स्कूल के लडुड अनुदलन आदल डुदुुं कु शलडलल कडुडल गडल डै ।
- एसएसएस के अंतूरगत डूरलथडकल सुतर डूर 150 रुडुडे डूरतल डलऑूऑे और उऑूऑ डूरलथडकल सुतर डूर 250 रुडुडे डूरतल डलऑूऑे कल अधकलतड सलडल डें सरकरलरुं/सुथलनलड नकलडुड और सरकरलरुं सहलडतल डूरलडूत स्कूलुं डें सडुड डलऑूऑे कु डलदुडडुसूतकें डूरदलन कल ऑलतू डै ।
- इनडें रलऑुड डलदुडकूरड शुरु करनू के इऑूऑूक डदरसे डल शलडलल डै ।
- एसएसएस के तहत वंचतल सडुदलरुुं के डलऑूऑे अरूथलतू सडुड लडूकडुडुं, अनुसूऑतल ऑलतल, अनुसूऑतल ऑनऑलतल और गरीडु रेखल से नलऑे के लडूकुं कु ऑलर सुं रुडुड डूरतल वलडकूतल कल दर से दु ऑुडे डूनडुडूरूड डल डल ऑलतू डै ।

रलषूदूरीड डलधुडडडक शक्तिषल अडडडडन

- इस डुडुऑनल डें नुं से डलरहवु ककूषल तक सलडलनुड शूकुषकल वडुडुं के सलथ डल खुदुरल वुडलडलर, ऑूऑुडुडुडलडल, कूरूषल, दूरसंचलर, सुवलसुथुड देखडलल, डुडूटी एंड वेलनेस, आईटी, इलेकूदूरूऑनकलस, सुरकूषल, डलडडल और डनुरंऑन ऑैसे कूषेतूरुं के रूऑुगलरुनुडुख वुडलवसलडकल वडुडुड शुरु कडुड गए डै ।
- डलधुडडडक सुतर डूर ऑलतूरुं कु गुणवतूतलडूरक शक्तिषल डूरदलन करनू के लडुड आरएसएसएस के अंतूरगत वडुडलनुन डहलुं कु वतलतूडल सहलडतल डल गडू डै । इनडें नडुनलखलतल शलडलल डै-
 - ▶ ऑलतूर- शक्तिषक अनुडलत डें सुधलर के लडुड अतरलकूतल शक्तिषक
 - ▶ शक्तिषकुं और डूरधलनलऑलरुुं के लडुड नेतूतूव डूरशक्तिषण सहतल इंडकूशन और इन-सरूवसल दूरनगल
 - ▶ गणतल और वऑुऑलन कडल
 - ▶ स्कूल डें आईसीटी सुवधललुँ
 - ▶ डूरडुडुगशलल उडकरण
 - ▶ सीखने कु डदुवल डेने के लडुड वशुड डूरशक्तिषण
- एसएसएस तथल आरएसएसएस दुनुं के तहत डूरलथडकल तथल डलधुडडडक दुनुं अधुडलडकुं कु उनकल डेशेवर उनूनुतल के लडुड वशलषलट वडुडलडक, आवशुडकतल आधलरतल तथल अधुडलडकूड सेवलकलल डूरलकल के दूरलन सुसंगत डूरशक्तिषण देने डूर धुडलन केंदूरतल डै ।
- इसके अलवल, डलधुडडडक सुतर डूर स्कूलु शक्तिषल कल गुणवतूतल डदुडने के लडुड आरएसएसएस के तहत डूररणल तथल ऑलगूतल कलरुडकूरड, सुधलरलतूडक शक्तिषल ऑूसु नडू डदधतलुं कु डल उडडुडुग डें ललडल ऑल रहल डै ।
- इसके अतरलकूतल, ऑललल सुतर डूर वऑुऑलन डेला/डूरदरूशनल तथल डूरतडल खुऑ, स्कूलुं कु गणतल और वऑुऑलन कडलस, वदुडलरूथलुं दूवलर उऑूऑतर संसुथलनुं कल डूरडण तथल वदुडलरूथलुं के ऑुऑलनवरूधन ऑूसु नडू डदधतलुं डल सुवुकूत कल गडू डै ।

शक्तिषल कल अधकलर अधनलडडड

- 2 दसलडर, 2002 कु संवधलन डें 86वू संशुधन कडुडल गडल और इसके अनुऑूऑेद 21ए के तहत शक्तिषल कु डूलकल अधकलर डनल दडुडल गडल डै ।
- इस डूल अधकलर के कूरुडलनुवडन डेतु वरूष 2009 डें डलरत सरकर ने शक्तिषल के कूषेतूर डें एक डुगलंतकलरल कदड उऑलते हुए नःशुलूक एंव अनवलरुड शक्तिषल कल अधकलर अधनलडडड (the Right of Children to Free and Compulsory Education Act) डलरतल कडुडल ।
- इसकल उदूदेशुड डूरलथडकल शक्तिषल के कूषेतूर डें सलरूवडुडकल सडलवेशन कु डदुडल डेनल तथल डलधुडडडक एंव उऑूऑ शक्तिषल के कूषेतूर डें अधुडडन के नए अवसर सुऑतल करनल डै ।

- इसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 25 फीसदी सीटें गरीब तबके के बच्चों के लिये आरक्षणित करना एक अनिवार्य शर्त है।
- इसके अतिरिक्त शिक्षक एवं बच्चों का उच्च अनुपात, स्कूलों के भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं हेतु उच्च स्तरीय व्यवस्थाएँ करना, शिक्षकों एवं स्कूल के अन्य कर्मचारियों के लिये काम के घंटे तय करना इत्यादि के विषय में उपयुक्त व्यवस्था की गई है।
- तथापि, इसके अंतर्गत बच्चों के सीखने की प्रवृत्ति एवं शिक्षकों के अध्यापन संबंधी प्रदर्शन के विषय में कोई आवश्यक प्रबंध नहीं किया गया है।
- इस अधिनियम के अनुपालन की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान का प्रभाव यह हुआ कि नज्दी स्कूलों के संचालन के रूप में शिक्षा का व्यवसाय कर रहे कुछ नज्दी स्कूल या तो स्वयं बंद हो गए या फिर उन्हें नयियों का उल्लंघन करने के आरोप में स्कूल बंद करने का नोटिस दे दिया गया।
- हालाँकि, सरकारी स्कूलों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। यही स्थिति अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों की भी रही क्योंकि आर.टी.ई. के दायरे से बाहर होने के कारण उन पर भी इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।
- केंद्र सरकार, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के मानदंडों के कार्यान्वयन तथा अध्यापकों की शीघ्र भरती तथा पुनर्नियोजन के मामले विभिन्न मंचों से नरिंतर उठाती रही है।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानदंडों के कार्यान्वयन तथा अध्यापकों के पुनर्नियोजन के लिये समय-समय पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को परामर्शी भी जारी की है ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी स्कूल अध्यापक पारदर्शी नीतिके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने में पर्याप्त समय खर्च कर रहे हैं।

स्कूली शिक्षा को गुणात्मक बनाने हेतु आवश्यक उपाय

- इसके अलावा, सरकार ने स्कूली शिक्षा को गुणात्मक बनाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं-
 - ▶ स्कूली शिक्षा में सर्वोत्तम अभ्यास कोष का सृजन तथा एसएसए के कार्यान्वयन की नगिरानी के लिये शगुन पोर्टल शुरू किया गया है।
 - ▶ लड़कियों तथा लड़कों के लिये प्रत्येक स्कूल में अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था के लिये स्वच्छ विद्यालय अभियान।
 - ▶ स्वच्छ विद्यालय पहल के अगले कदम के रूप में ज़िला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर 2016-17 से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की स्थापना की गई है।
 - ▶ कक्षा 1 तथा 2 के विद्यार्थी समझ-बुझ से पढ़ सकें तथा उन्हें मूल गणना कौशल प्राप्त हो, इसके सुनिश्चय के लिये 2014 में 'पढ़े भारत बढ़े भारत' की शुरुआत की गई।
 - ▶ 6-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को विज्ञान, गणित तथा प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिये प्रेरित करने हेतु 2015 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया गया।
 - ▶ सभी बच्चे उचित बौद्धिक स्तर हासिल कर सकें इसके सुनिश्चय के लिये श्रेणीवार, विषयवार बौद्धिक परणामों का संदर्भ शामिल करने के लिये फरवरी 2017 में नःशुलक तथा अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम में संशोधन किया गया।
 - ▶ शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) को अगस्त 2017 में संशोधित किया गया है जिसके अंतर्गत अप्रशिक्षित प्राथमिक अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की अवधि 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाई गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी अध्यापक शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा यथा-नरिधारित न्यूनतम अरहता प्राप्त कर रहे हैं।
 - ▶ एनसीईआरटी, एससीईआरटी/एसआईई, राज्य बोर्डों आदि द्वारा तैयार की गई ई-पुस्तकों सहित ई-संसाधनों के प्रसार के लिये नवंबर 2015 में ई-पाठशाला नामक वेब-पोर्टल (<http://epathshala.gov.in/>) तथा मोबाइल एप (एंडरायड आई-ओएस तथा वडिओ) शुरू की गई है।
 - ▶ स्कूलों के मूल्यांकन के लिये नवंबर 2015 में शुरू की गई शाला सदिधि एक व्यापक माध्यम है जिससे स्कूलों में सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है।
 - ▶ माध्यमिक स्तर पर स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतभा के पोषण तथा प्रदर्शन द्वारा शिक्षा में कला के वर्धन के लिये कला उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
 - ▶ आरएमएसए के ऑनलाइन प्रबन्ध तथा नगिरानी के लिये ऑनलाइन परियोजना नगिरानी प्रणाली (पीएमएस) अगस्त 2014 से शुरू की है।
 - ▶ प्रभावी शिक्षण के लिये विद्यार्थियों और उनके अध्यापकों के बीच संपर्क के लिये पायलट आधार पर केंद्रीय विद्यालयों में संगत ई-विषय सूची से परलोटडिडि टेबलेट्स का वितरण शुरू किया गया है।
 - ▶ मडि डे मलि योजना के अन्तर्गत स्कूल स्तर पर स्वतः नगिरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है ताकि योजना की सही सामयिक नगिरानी हो सके।
- इसके अतिरिक्त तीसरी, पाँचवीं और आठवीं कक्षाओं के लिये ज़िला स्तर तक नमूने के तौर पर 13 नवंबर, 2017 को बौद्धिक परणामों पर आधारित एक राष्ट्रीय उपलब्धि स्र्वेक्षण (एनएसएस) का आयोजन किया गया है ताकि राज्य और संघ शासित प्रदेश कमियों का पता लगाया जा सकें।
- माध्यमिक स्तर पर (दसवीं कक्षा) 33 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार राष्ट्रीय उपलब्धि स्र्वेक्षण का आयोजन किया गया था।
- स्र्वेक्षण के अनुसार, दसवीं कक्षा में (सरकल-1) लड़कियों की उपलब्धि सभी विषयों में लड़कों के बराबर पाई गई। दसवीं कक्षा के लिये राष्ट्रीय उपलब्धि स्र्वेक्षण का दूसरा चरण ज़िला स्तरीय नमूने के रुप में 5 फरवरी, 2018 को आयोजित किया गया।